न्यायालयः तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला रीवा म.प्र.
(पीठासीन अधिकारी :—वारीन्द्र कुमार तिवारी)

Filing No. - 10675/2025
CNR No. - MP1701-014329-2025
Registration No. - BA/1668/2025
Filing Date – 16.10.2025

संजय पटेल पिता अशोक कुमार पटेल, उम्र 30 वर्ष,
निवासी ग्राम सथनी, पोस्ट रघुनाथगंज, थाना मनगवां,
जिला रीवा (म.प्र.)

.....आवेदक / अभियुक्त

**बनाम**

म.प्र.राज्य द्वारा थाना मनगवां,
जिला रीवा म.प्र. .....अनावेदक / अभियोगी

————————————————————————————

17-10-2025

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार यह जमानत पत्रावली मय थाना मनगवां, जिला रीवा के अपराध क्रमांक 334 / 2025 अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. की केस डायरी व पुलिस प्रतिवेदन विधिनुसार निराकरण हेतु अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त संजय पटेल द्वारा अधिवक्ता श्री राजीव सिंह परिहार एवं श्री गिरीश पटेल उपस्थित।

अनावेदक राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री उमेश कुमार मिश्रा उपस्थित।

नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

उपस्थित अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक रूप से विरोध व्यक्त किया गया।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र संक्षेप में यह है कि आवेदक को थाना मनगवां की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जे.एम.एफ.सी. न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसका धारा 480 बी.एन.एस.एस. का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया तथा केन्द्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। आवेदक निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, झूंठे व बनावटी तथ्य के आधार पर आवेदक को प्रकरण में आलिप्त किया गया। आवेदक दिनांक 28.06.2025 को घटनास्थल पर नहीं था, उसे सर्प काट लिया था जिस कारण वह अपने इलाज हेतु रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगेव में था। आवेदक ने मृतिका के साथ कोई घटना कारित नहीं की

है। आवेदक का मृतिका के बहन से इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी कि वह मृतिका का भरण–पोषण नहीं करता है जबकि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से मृतिका का भरण–पोषण एवं समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, जिस कारण से मृतिका की बहन एवं उसके परिवारजनों द्वारा उक्त प्रकरण में आलिप्त कराया गया है। आवेदक के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में आवेदक के घर में चोर घुसे होंगे जिनके द्वारा घटना कारित की गई होगी। आवेदक से कोई जप्ती नहीं हुई है। आवेदक के विरूद्ध मेमोरेण्डम के अतिरिक्त कोई भी साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन पेश किया जा चुका है। प्रकरण में अब कोई विवेचना शेष नहीं है। आवेदक नवयुवक है, मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करता है, उसका पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है तथा काफी लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक रीवा जिले का मूल निवासी है, उसकी चल एवं अचल संपत्ति रीवा जिला में है, उसके कहीं भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में अत्यधिक समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक को जमानत का रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक के चाचा राजेन्द्र प्रसाद पटेल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह बात कही गई है कि आवेदक का माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है, अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष न तो लंबित है और न ही निराकृत हुआ है तथा आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।

अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि फरियादी अनुपमा पटेल द्वारा इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि उसकी छोटी बहन पुष्पा पटेल की शादी 24 अप्रैल, 2018 को संजय पटेल के साथ हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, उसकी छोटी बहन पुष्पा 04 माह की गर्भवती थी। दिनांक 28.06.2025 को वह अपने घर सुंदर नगर में थी कि समय करीब 05:23 बजे उसकी बहन के बाबा ससुर मुन्नीलाल पटेल के मोबाईल नंबर 7400717849 से उसके मोबाईल नंबर 9284892607 में फोन आया तो वह बात की। उन्होंने फोन उसकी छोटी बहू प्रेमवती पटेल को दे दिया तो वह बताई कि उसकी छोटी बहन पुष्पा पटेल सोना–चांदी लेकर घर से भाग गई है। उसके लगभग 15 मिनिट बाद पुनः उसी नंबर से फोन आया और प्रेमवती बताई कि उसकी छोटी बहन पुष्पा पटेल घर के अंदर गद्दा, रजाई, कम्बल के नीचे मरी पड़ी है, तो वह अपने पति डॉक्टर विनोद पटेल को लेकर तत्काल अपने घर रीवा से ग्राम सथिनी गई एवं उसके पिता

रामलखन पटेल एवं मॉ गुलाब कली पटेल को फोन से घटना बताई। वह उसकी बहन के ससुराल ग्राम सथिनी पहुंची तो देखी कि उसके बहन का पति संजय पटेल, बब्बा मुन्नीलाल पटेल, प्रेमवती पटेल व गांव के अन्य कई लोग मौजूद थे। तब वह उसके पति के साथ घर के अंदर बहन के समय कमरे में जाकर देखी तो बक्से का कुंदा टूटा हुआ था तथा अलमारी का सामान अस्त, व्यस्त था। सोना–चांदी की डिब्बियां फैली थी। उसकी बहन पुष्पा पटेल घर के अंदर उसके कमरे में रखी चारपाई में 02 गद्दा, रजाई, कम्बल के नीचे दबी पड़ी हुई थी। उसका एक हाथ एवं एक पैर दिख रहा था, तब दोनों गद्दे हटाकर देखा तो उसकी बहन मृत पड़ी थी। पुष्पा का ओंठ हल्का कटा था व खून निकला था तथा बायें तरफ तार बहकर चेहरे में लगी थी। उसकी बहन पुष्पा पटेल गर्भवती थी, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुंह दबाकर हत्या कर दी गई है। उक्त पर से देहाती मर्ग कायम किया गया व विवेचना में लिया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत् प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

मूल प्रकरण व केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार जानकारी निम्नानुसार हैः–

| | |
|---|---|
| थाना का नाम | मनगवां |
| अपराध क्रमांक | 334 / 2025 |
| अपराध पंजीबद्ध होने की तिथि | 28.06.2025 |
| अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि | 29.06.2025 |
| अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुति तिथि | 27.09.2025 |
| पूर्व आपराधिक इतिहास | निरंक |

**Antecedents/Involvement in Criminal Case(s)**

| S. No. | F.I.R. No. | Sections | Police Station | District | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pending/ Convicted/ Acquittal |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त के मेमोरेण्डम में यह बात लिखी हुई है कि मोबाईल की आवाज कम करने की बात को लेकर मृतिका गाली देने लगी तो इसी बात को लेकर अभियुक्त को गुस्सा आ गया और मृतिका के मुंह में रखकर दबा

दिया जिससे मृतिका की मृत्यु हो गई। यह बात भी लिखी हुई है कि उसके बाद कमरे की हालत ऐसे बना दिया जिससे यह लगे कि कोई चोर चोरी करने आया था और उसकी पत्नी को मारकर भाग गया है।

जब इस प्रकार की बातें मेमोरेण्डम से इस प्रक्रम पर दर्शित होती हैं तो अभियुक्त की ओर से इस प्रक्रम पर कही गई यह बात विश्वसनीय दर्शित नहीं होती है कि उसे घटना दिनांक को सर्प काट लिया था जिससे वह इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगेव में था। इसके संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः ऐसी दशा में इस प्रक्रम पर अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव विश्वसनीय दर्शित नहीं होता है और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है।

मृतिका की मृत्यु अभियुक्त के घर पर हुई है तथा प्रकरण हत्या से संबंधित है। अतः अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत न होने से जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी की ओर प्रेषित की जाये।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जाए।

सही/–
वारीन्द्र कुमार तिवारी
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला रीवा (म.प्र.)

VARINDRA KUMAR TIWARI
Digitally signed by VARINDRA KUMAR TIWARI
Date: 2025.10.17 16:46:57 +0530